

केरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993*

केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम किरोसिन, (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 है।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं

इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) 'मुख्य विस्फोटक नियंत्रक' का वही अर्थ होगा जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1834 का 4) में है।
- (ख) 'उपभोक्ता' से ऐसा व्यक्ति, फर्म कंपनी, संस्था, व्यक्तियों का संगम, सहकारी सोसाइटी या संगठन अभिप्रेत है, जो खाना पकाने और प्रदीपन के लिए किरोसिन का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है।
- (ग) 'ब्यौहारी' से ऐसा व्यक्ति, फर्म व्यक्तियों का संगम, कंपनी, संस्था, संगठन या सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो सरकारी तेल कंपनियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा अनुमोदित है और किरोसिन का क्रय और विक्रय के कारोबार में लगा हुआ/लगी हुई है।
- (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विक्रय किए गए किरोसिन के संबंध में 'घोषित कीमत' से केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी क्षेत्र के प्रति, निर्देश से समय-समय पर घोषित अधिकतम विक्रय कीमत अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसे अन्य प्रभार, दरें, शुल्क और कर भी आते हैं, जो :-
 - (1) किसी राज्य के किसी क्षेत्र की दशा में राज्य सरकार या जिला कलेक्टर द्वारा, या
 - (2) किसी संघ राज्य क्षेत्र के किसी क्षेत्र की दशा में उस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा, विहित किए जाएं,
- (ङ) 'किरोसिन' से हाईड्रोकार्बन का ऐसा मध्यवर्ती आसुत मिश्रण अभिप्रेत है जो भा.मा.ब्यूरो के विनिर्देश सं. 1974 का भा.मा. 1459 को पूरा करता है और जिसके महत्वपूर्ण लक्षण न्यूनतम 35 डिग्री सेंटीग्रेड का प्रज्वलन बिंदु और न्यूनतम 18 मि.मी. का धूम्र बिन्दु है।

* पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 584 (अ) दिनांक 2 सितम्बर, 1993 भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग II खंड - 3 (1) दिनांक 2.9.93 पृष्ठ 1-4 पर प्रकाशित।

और अधिकतम T, 1993*

5 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त
ति :-

नेर्बधन और अधिकतम कीमत

रतीय विस्फोटक अधिनियम,

का संगम, सहकारी सोसाइटी
केरोसिन का उपयोग करने के

संस्था, संगठन या सहकारी
रकार या राज्य सरकार या
सेन का क्रय और विक्रय के

सिन के संबंध में 'घोषित
पे समय-समय पर घोषित
न्य प्रभार, दरें, शुल्क और

ला कलेक्टर द्वारा, या
ज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा,

भिप्रेत है जो भा.मा.ब्यूरो
जिसके महत्वपूर्ण लक्षण
I. का धूम्र बिन्दु है :

) दिनांक 2 सितम्बर, 1993
पर प्रकाशित।

केरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993

163

(च) 'सरकारी तेल कंपनी' से निम्नलिखित अभिप्रेत है :

(1) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (2) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (3) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (4) आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड (5) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (6) गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (7) आयल इंडिया लिमिटेड : या (8) अन्य कोई सरकारी कंपनी या कानूनी निकाय जिसे केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस आदेश के प्रयोजन के लिए सरकारी तेल कंपनी घोषित किया हो।

(छ) 'भारतीय मानक' का वही अर्थ होगा जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 2 के खंड (छ) में है।

★★ (छक)

★★★ (छक) गैर पी.डी.एस. केरोसिन से केरोसिन से भिन्न केरोसिन अभिप्रेत है।

* (ज) 'समानान्तर विपणनकर्ता' से ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था, व्यक्तियों का संगम, सहकारी सोसायटी या संगठन अभिप्रेत है जो समानांतर वितरण प्रणाली के अधीन केरोसिन का आयात, भंडार, परिष्करण, उत्पादन, पैकिंग, विपणन, वितरण और विक्रय करने का कारोबार कर रहा है।

* (झ) 'समानान्तर वितरण प्रणाली' से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भिन्न कोई ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है, जिसके अधीन कोई व्यक्ति, अपनी व्यवस्था के अधीन केरोसिन का आयात करता है, देश में उत्पादित केरोसिन प्राप्त करता है, आयातित या देश में उत्पादित केरोसिन का भंडारण, परिवहन, पैक, वितरण करता है या विक्रय करता है।

★★★★ (झक) पी.डी.एस. केरोसिन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित केरोसिन अभिप्रेत है जिसे खंड 8 के अधीन विशिष्ट रूप से रखा गया है।

(ग) 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी वितरण प्रणाली के माध्यम से घोषित कीमत पर केरोसिन के वितरण, विपणन या विक्रय की प्रणाली अभिप्रेत है।

(ट) 'भंडारण स्थल' से वह परिसर अभिप्रेत है जो मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित या अनुज्ञप्त है।

★★ (टक)

(ठ) 'परिवहक' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो केरोसिन के परिवहन के लिए किसी सरकारी तेल

* केन्द्र शासन की अधिसूचना क्र. 105 (अ) दिनांक 22 फरवरी 2001 द्वारा प्रतिस्थापित।

★★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 12 जनवरी 2007 द्वारा मार्कर संबंधी प्रावधान अंतःस्थापित तथा अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर 2008 द्वारा विलोपित।

★★★ सा.का.नि. 41 (अ) दिनांक 19.01.2015 द्वारा अंतःस्थापित तथा शुद्धिपत्र दिनांक 13.02.2015 से हिन्दी पाठ में शुद्धिकरण किया गया।

★★★★ सा.का.नि. 89 (अ) दिनांक 13.02.2015 द्वारा संशोधित।

कंपनी, समानान्तर विपणनकर्ता या किसी वितरक द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रदाय किए गए किरोसिन के उपयोग पर निर्बंधन

- (1) कोई व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रदाय किए गए किरोसिन का उपयोग खाना पकाने और प्रदीपन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा, परन्तु यह कि केन्द्रीय या राज्य सरकार किसी व्यक्ति को आदेश द्वारा किरोसिन का ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उपयोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी।
- (2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियुक्त कोई ब्यौहारी या परिवहक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को जिसके लिए प्रदाय अभिप्रेत है, किरोसिन का विक्रय, वितरण या प्रदाय नहीं करेगा।

***3 क समानान्तर विपणन प्रणाली के तहत आयातित किरोसिन की बिक्री और उपयोग पर निर्बंधन**

कोई भी व्यक्ति समानान्तर विपणन प्रणाली के तहत आयातित किरोसिन का ईंधन और किसी मोटर वाहन में ईंधन के योगज के रूप में बिक्री अथवा उपयोग नहीं करेगा।

***3 ख अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा किरोसिन की बिक्री पर निर्बंधन**

डीलर अथवा सरकारी तेल कंपनी अथवा समानान्तर विपणनकर्ता के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को किरोसिन नहीं बेचेगा।

****3 ग इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड*** द्वारा घरेलू तौर पर उत्पादित अथवा आयातित किरोसिन की बिक्री और उपयोग पर निर्बंधन**

कोई भी व्यक्ति इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और आईबीपी कं. लिमिटेड द्वारा विपणन किए जाने वाले किरोसिन, चाहे वह घरेलू तौर पर उत्पादित हो अथवा आयातित, की बिक्री अथवा उपयोग किसी मोटर वाहन में ईंधन के रूप में अथवा ईंधन के योगज के रूप में नहीं करेगा।

4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किरोसिन का उपापन, भंडारण और विक्रय

- (1) ऐसा कोई ब्यौहारी, जिसके पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रदाय किया गया किरोसिन का स्टॉक अपने कारोबार परिसर पर है, जिसके अंतर्गत भंडारण स्थल भी है ;

★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर 1998 द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.1998 को पृष्ठ 1-2 पर प्रकाशित।

★★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर 2003 द्वारा अंतःस्थापित तथा राजपत्र के पार्ट-2, खण्ड 3 (1) में दिनांक 8.12.2003 को पृष्ठ 3-4 पर प्रकाशित।

★★★ सा.का.नि. 41 (अ) दिनांक 19.01.2015 द्वारा 'आईबीपी कंपनी' शब्द विलोपित।

A/C

165 **केरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993**

- (क) जब तक कि सरकार या सरकारी तेल कंपनी द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, किसी कार्य दिवस को कार्य घंटों के दौरान किसी उपभोक्ता को केरोसिन का विक्रय, वितरण या प्रदाय करने से इंकार नहीं करेगा,
- (ख) अपना कारोबार परिसर, जिसके अंतर्गत भंडारण स्थल भी है, सरकार या सरकारी तेल कंपनी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी कार्य दिवस कार्य घंटों के दौरान बंद नहीं रखेगा,
- (ग) सरकार या सरकारी तेल कंपनी द्वारा नियत कीमत से अधिक कीमत पर केरोसिन का विक्रय, वितरण या प्रदाय नहीं करेगा।

- (2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियुक्त प्रत्येक ब्यौहारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा कि कारोबार परिसर में, जिसके अंतर्गत भंडारण स्थल भी है, सभी समय पर केरोसिन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहे।

स्पष्टीकरण उपखंड (1) के प्रयोजन के लिए 'कार्य घंटों' पद से संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त दुकान और स्थापना अधिनियम के अनुसार सम्बद्ध तेल कंपनी द्वारा नियत कार्य घंटे अभिप्रेत है।

5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियुक्त ब्यौहारियों द्वारा स्टॉक और कीमत का प्रदर्शित किया जाना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियुक्त प्रत्येक ब्यौहारी कारोबार के स्थान पर, जिसमें भंडारण स्थल भी है, सहजदृश्य स्थान पर एक स्टॉक सह कीमत पटल प्रदर्शित करेगा जिसमें निम्नलिखित को दर्शित किया जाएगा :

- (1) केरोसिन का आरंभिक स्टॉक,
- (2) दिन के दौरान प्राप्त की गई मात्रा,
- (3) दिन के दौरान विक्रय की गई, परिदाय की गई या अन्यथा व्ययन की गई मात्रा,
- (4) दिन के बंद स्टॉक की मात्रा, और
- (5) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो इस बारे में सरकार या सरकारी तेल कंपनी लिखित रूप में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियुक्त ब्यौहारी द्वारा रजिस्टर लेखा बही बनाए रखना और वितरणी प्रस्तुत करना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियुक्त प्रत्येक ब्यौहारी प्रत्येक दिन कारोबार परिसर में केरोसिन के दैनिक क्रय, विक्रय और भंडारण का उचित लेखा रखेगा जिसमें

- (1) केरोसिन का आरंभिक स्टॉक,
- (2) दिन के दौरान प्राप्त मात्रा,
- (3) दिन के दौरान विक्रय की गई, परिदत्त की गई या अन्यथा व्ययनित मात्रा
- (4) बंद स्टॉक और
- (5) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो इस बारे में सरकार या सरकारी तेल कंपनी लिखित रूप में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उपदर्शित होगी।

अधिकृत किया गया है।

य किए गए

किए गए केरोसिन का उपयोग किए नहीं करेगा, परन्तु यह कि केरोसिन का ऐसे अन्य प्रयोजनों की अनुज्ञा दे सकेगी।

हारी या परिवहक सार्वजनिक व्यक्ति को जिसके लिए प्रदाय गा।

वितित केरोसिन की

वितित केरोसिन का ईंधन और नहीं करेगा।

बिक्री पर निर्बंधन

गनकर्ता के अलावा कोई भी

दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विपणन किए गए केरोसिन का बिक्री अथवा रूप में नहीं करेगा।

दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विपणन किए गए केरोसिन का बिक्री अथवा रूप में नहीं करेगा।

न का उपापन,

अधीन प्रदाय किया गया भंडारण स्थल भी है ;

अधिसूचना राजपत्र में दिनांक

राजपत्र के पार्ट-2, खण्ड 3

रा।

7. समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा अभिलेख का बनाए रखा जाना और सूचना का दिया जाना

- (क) किरोसिन का * (आयात, भंडार), परिवहन, पैकिंग, विपणन, वितरण और विक्रय आरंभ करने से पहले प्रत्येक समानान्तर विपणनकर्ता, केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को उपरोक्त क्रियाकलापों में से सभी या किसी एक में स्वयं, को नियोजित करने का अपना आशय उनमें ऐसा करने की अपनी क्षमता और अन्य सुसंगत विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए सूचित करेगा।
- (ख) किरोसिन का समानान्तर विपणनकर्ता केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को आयातित किरोसिन के पतन बार ब्यौरे देते हुए आगामी मास की 15 तारीख के पहले एक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- (ग) समानान्तर विपणनकर्ता केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को या इस संबंध में इस सरकार द्वारा प्राधिकारी को ऐसी अन्य सूचना, जो अपेक्षा की जाए, देगा।
- * (घ) समानान्तर विपणनकर्ता उन औद्योगिक उपभोक्ताओं का जिनको वह किरोसिन की बिक्री करता है, अंतिम उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा तथा त्रैमासिक आधार पर राज्य नागरिक आपूर्ति प्राधिकारियों, जिस नाम से भी उनको जाना जाए, को ग्राहकवार बिक्रियों का ब्यौरा भी प्रस्तुत करेगा।
- * (ङ) समानान्तर विपणनकर्ता सुनिश्चित करेगा कि आयातित किरोसिन पतन विशेष पर भण्डारण की बुनियादी सुविधाओं को सोपे जाने अथवा किसी व्यक्ति को बिक्री किए जाने से पहले भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश संख्या आई एस - 1459 की अपेक्षाएं सभी दृष्टियों से पूरी करता है।
- * * (च) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और आईबीपी कं. लिमिटेड मासिक आधार पर राज्य नगर आपूर्ति प्राधिकरणों, चाहे जो भी नाम दिया जाए, को उन औद्योगिक उपभोक्ताओं से अंत्यः उपयोग प्रमाणपत्र दायर करेंगी जिन्हें वे केरोसिन की बिक्री करेंगी और ग्राहकवार बिक्रियां भी प्रस्तुत करेंगी।
- * * (छ) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और आईबीपी कं. लिमिटेड यह सुनिश्चित करेंगी कि घरेलू तौर पर उत्पादित केरोसिन की बिक्री किए जाने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि केरोसिन भारतीय मानक ब्यूरो सं. आईएस - 1459 को सभी पहलुओं से पूरा करता है, गुणवत्ता जांच करवाई जाए और आयातित केरोसिन के मामले में, आयातित केरोसिन के पतन पर भण्डारण संरचना में जमा करने अथवा बिक्री करने से पहले गुणवत्ता जांच करवाई जाए।

* केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर 1998 द्वारा अंतःस्थापित तथा राजपत्र में दिनांक 23.10.1998 को पृष्ठ 1-2 पर प्रकाशित।

* * केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर 2003 द्वारा अंतःस्थापित तथा राजपत्र के पार्ट-2, खण्ड 3 (1) में दिनांक 8.12.2003 को पृष्ठ 3-4 पर प्रकाशित।

लेख का बनाए रखा जाना

विपणन, वितरण और विक्रय आरंभ केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम और से सभी या किसी एक में स्वयं, को अपनी क्षमता और अन्य सुसंगत

के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए आगामी मास की 15 तारीख

और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को या सूचना, जो अपेक्षा की जाए, देगा।

जिनको वह किरोसिन की बिक्री या त्रैमासिक आधार पर राज्य को ग्राहकवार बिक्रियों

किरोसिन पत्तन विशेष पर सी व्यक्ति को बिक्री किए जाने एस - 1459 की अपेक्षाएं सभी

लिमिटेड, लिमिटेड मासिक आधार पर जाए, को उन औद्योगिक वे केरोसिन की बिक्री करेंगी

लिमिटेड, लिमिटेड यह सुनिश्चित करेंगी इले यह सुनिश्चित करने के को सभी पहलुओं से पूरा के मामले में, आयातित की करने से पहले गुणवत्ता

पेट तथा राजपत्र में दिनांक

राजपत्र के पार्ट-2, खण्ड 3

*7 क समानांतर विपणनकर्ता का निर्धारण और प्रमाणीकरण/रेटिंग

- (1) (क) कोई भी समानांतर विपणनकर्ता, इस आदेश की अनुसूची-क में सूचीबद्ध अभिकरण से, अपनी क्षमता, अवसंरचनात्मक नेटवर्क और वृत्तिक कारोबार करने की तत्परता के लिए मूल्यांकन और रेटिंग के आधार पर रेटिंग प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना किरोसिन के कारोबार से संबंधित कोई क्रियाकलाप जैसे ** (आयात, भंडार), परिवहन, कूप भरण, विपणन, वितरण, विक्रय या इसके समनुषांगी क्रियाकलाप प्रारंभ नहीं करेगा और वचनबद्ध माल तथा सेवाएं परिदत्त नहीं करेगा।

*** विलोपित।

स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई समानांतर विपणनकर्ता किसी अन्य समानांतर विपणनकर्ता का अभिकर्ता तब माना जाएगा जबकि उपरोक्त प्रयोजन के लिए दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को किसी विधिक लिखित द्वारा ऐसे अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया हो।'

- (ख) रेटिंग प्रमाणपत्र इस आदेश की अनुसूची - ख में विहित किए गए प्रारूप में और अनुसूची- ग में दिए गए अग्रेषण पत्र के अनुसार जारी किया जाएगा।

(ग) रेटिंग प्रमाणपत्र

- (1) जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, और

(2) रेटिंग अभिकरण द्वारा प्रतिवर्ष नवीनीकरण के लिए अपेक्षित होगा।

- (2) प्रत्येक समानांतर विपणनकर्ता जो किसी समाचारपत्र, लघुपत्रिका, पम्पलैट, पत्रियों द्वारा या संचार के अन्य साधनों या विज्ञापन द्वारा किरोसिन के आयात, परिवहन, कूपभरण, विपणन, वितरण, विक्रय के क्षेत्र में अपने क्रियाकलाप के ब्यौरे की उद्घोषणा करता है या किसी प्रकार की प्रस्थापनाएं, आमंत्रित करता है, उसे दिए गए रेटिंग को उपदर्शित करेगा और रेटिंग अभिकरण द्वारा दिए गए रेटिंग प्रमाणपत्र को सहज रूप से प्रकाशित करेगा।

- (3) किसी रेटिंग अभिकरण को, प्रत्येक आवेदन के संबंध में निम्नलिखित संदाय किया जाएगा -

- (1) समानांतर विपणनकर्ता को दिए गए रेटिंग प्रमाणपत्र के लिए, पचास हजार रुपए की निम्नतम और दस लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए परियोजना लागत के 0.05 प्रतिशत की दर पर फीस, और

* किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) (संशोधन) आदेश, 1995 द्वारा उपखण्ड 7 (क) अंतः स्थापित।

** किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) (संशोधन) आदेश, 1998 द्वारा 'आयात' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

*** किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) (संशोधन) आदेश, 1998 द्वारा परन्तुक विलोपित।

- (2) समानांतर विपणनकर्ता द्वारा रेटिंग प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए ऐसे प्रमाण पत्र के संबंध में संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित फीस का दसवां भाग।
- (4) मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए सूचीबद्ध अभिकरण, समानांतर विपणनकर्ता द्वारा फीस का संदाय किए जाने पर, ऐसे समानांतर विपणनकर्ता का, जिसका मामला उसे निर्दिष्ट किया गया है या जिसने उससे संपर्क किया है, अन्य बातों के साथ साथ इस आदेश की अनुसूची-घ में दिए गए प्रोफार्मा में ऐसे समानांतर विपणनकर्ता द्वारा उपदर्शित मापदंडों और दी जाने वाली जानकारी तथा ऐसी जानकारी के आधार पर जो रेटिंग अभिकरण द्वारा मांगी गई हो, मूल्यांकन करेगा।

*परंतु यह और कि किसी ऐसे समानांतर विपणनकर्ता से जो किसी अन्य समानांतर विपणनकर्ता जिसने रेटिंग प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है के अभिकर्ता के रूप में किरोसिन के परिवहन वितरण और विक्रय का कारोबार करता है, से कोई रेटिंग प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई समानांतर विपणनकर्ता किस अन्य समानांतर विपणनकर्ता का अभिकर्ता तब माना जाएगा जबकि उपरोक्त प्रयोजन के लिए दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को किसी विधिक लिखत द्वारा ऐसे अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया हो।

- (5) प्रत्येक समानांतर विपणनकर्ता, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल समन्वय समिति, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय और ऐसे जिले के, जहाँ वह किरोसिन का आयात, परिवहन, कूपभरण, विपणन, वितरण या विक्रय करता है, कलेक्टर के पास रेटिंग प्रमाणपत्र की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा। समानांतर विपणनकर्ता के सभी, पत्रशीर्षों या पत्र व्यवहार में रेटिंग का निम्नलिखित विवरण होगा :

- (1) रेटिंग अभिकरण का नाम,
- (2) उसे दिया गया रेटिंग, और
- (3) जारी करने की तारीख

- (6) कोई भी समानांतर विपणनकर्ता, समाचारपत्र, पत्रिका पम्पलेट, पर्ची, विज्ञापन आदि में अपूर्ण, गलत भ्रामक या अस्पष्ट जानकारी नहीं देगा या ऐसी जानकारी रेटिंग अभिकरण से प्रस्तुत नहीं करेगा।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किरोसिन का सुभिन्न होना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदाय किए गए किरोसिन को जब कभी आवश्यक हो, सरकारी तेल कंपनी द्वारा अंगीकार किए जाने वाले उपयुक्त उपायों के प्रयोग द्वारा

नीकरण के लिए ऐसे प्रमाण का दसवां भाग।

विपणनकर्ता द्वारा फीस का मामला उसे निर्दिष्ट किया साथ साथ इस आदेश की तर्त द्वारा उपदर्शित मापदंडों र जो रेटिंग अभिकरण द्वारा

जो किसी अन्य समानांतर है के अभिकर्ता के रूप में है, से कोई रेटिंग प्रमाणपत्र

र विपणनकर्ता किस अन्य उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता के रूप में

स मंत्रालय, तेल समन्वय रिक आपूर्ति मंत्रालय और रण, विपणन, वितरण या त सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत र व्यवहार में रेटिंग का

5, पच्ची, विज्ञापन आदि में ानकारी रेटिंग अभिकरण

न का

किरोसिन को जब कभी त्त उपायों के प्रयोग द्वारा

समानान्तर विपणन प्रणाली के अधीन आयतित किए जाने वाले, विक्रय किए जाने वाले और वितरित किए जाने वाले किरोसिन से सुभिन्न बनाया जाएगा।

*8क.

9. प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति

(क) सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग का कोई अधिकारी, जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो और ऐसी सरकार द्वारा प्राधिकृत तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत और अधिसूचित कोई अधिकारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अधिकारी जो सरकारी तेल कंपनी के विक्रय अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, यथापेक्षित सहायता से इन आदेश के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि इस आदेश या इसके अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन किया गया है,

- (1) किसी ऐसे जलयान या यान या किसी अन्य प्रवहण को रोक सकेगा और सबकी तलाशी ले सकेगा जिसके बारे में अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसका इस आदेश के उल्लंघन में उपयोग किया गया है या उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किया जाने वाला है,
- (2) किसी स्थान में ऐसे साहाध्य या सहायता के साथ जो आवश्यक हो, प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, और
- (3) किरोसिन कारोबार, से संबंधित लेखाबहियों, रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों तथा ऐसे स्टॉक को ले जाने के लिए प्रयुक्त यान, जलयान या किसी अन्य प्रवहण सहित ऐसे साहाध्य या सहायता के साथ जो आवश्यक हो, उस दशा में अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हें हटा सकेगा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और उसके पश्चात सरकारी तेल कंपनी के कार्यालय में किरोसिन के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए और इस प्रकार अभिग्रहीत यान, जलयान या अन्य प्रवहण को उस कलेक्टर के समक्ष, जिसकी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के उपबंधों के अधीन अधिकारिता है, ऐसी प्रक्रियाओं * के लंबित रहते हुए उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सकेगा या करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 की तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहाँ तक हो सके, इस आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

10. आदेश का अध्यारोही प्रभाव

इस आदेश के उपबंधों का किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अथवा ऐसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के किसी अधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ के पूर्व किए गए किसी

* केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 12 जनवरी 2007 द्वारा मार्कर संबंधी प्रावधान अंतःस्थापित तथा अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर 2008 द्वारा विलोपित।

आदेश में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी ऐसे प्रारंभ के पूर्व की गई या की जाने के लिए लोप की गई किसी बात के सिवाए, अध्यारोही प्रभाव होगा।

* 11. छूट देने की शक्ति

केन्द्रीय सरकार, यदि जनहित में आवश्यक समझे तो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जा सकने वाली शर्तों, यदि कोई हों, के अध्ययन, इस आदेश के सभी अथवा किसी उपबंध से छूट दे सकेगी।

12. निरसन और व्यावृत्ति

- (1) किरोसिन (उपयोग पर निर्बन्धन और कीमत नियंत्रण) आदेश, 1966 और किरोसिन (अधिकतम कीमत नियंत्रण) आदेश, 1970 निरसित किए जाते हैं, सिवाय उन बातों के, जो इन आदेशों के प्रारंभ के पूर्व इस आदेश के अधीन की गई या की जाने के लिए लोप की गई है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त आदेशों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस आदेश के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची - क **

(खंड 7 क (1) (क))

समानांतर विपणनकर्ता के मूल्यांकन / रेटिंग के लिए अभिकरणों के नाम और पते

नाम	पता
1. क्रिसिल (दि क्रेडिट रेटिंग इन्फोर्मेशन सर्विसिज आफ इंडिया लिमिटेड)	निरलॉन हाऊस, दूसरा पुतल, 254 बी, एनी वेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई - 400025
2. केयर (क्रेडिट एनालिसिसि एंड रिसर्च लिमिटेड)	आर.बी.सी. महिंद्रा टावर्स, पांचवाँ तल, रोड सं. 13, वर्ली, मुंबई- 400018
3. एम.डी.आर.ए. (मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएट्स)	सेकुलर हाऊस, 9/1, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जे.एन.यू. के सामने, नई दिल्ली-67
4. आई सी आर ए (इन्वेस्टमेंट इन्फोर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया लिमिटेड)	कैलाश बिल्डिंग, चौथा तल, 26, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-1

★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर 1998 द्वारा अंतःस्थापित तथा राजपत्र में दिनांक 23.10.1998 को पृष्ठ 1-2 पर प्रकाशित।

★★ किरोसिन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) (संशोधन) आदेश, 1995 द्वारा अनुसूची अंतः स्थापित।

गई या की जाने के लिए लोप

राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
स्ट की जा सकने वाली शर्तों,
से छूट दे सकेगी।

रादेश, 1966 और किरोसिन
हैं, सिवाय उन बातों के, जो
जाने के लिए लोप की गई है।

ई कोई बात या कार्रवाई इस
।

वर्णों के नाम और पते

पता

दूसरा पुतल, 254 बी,
वर्ली, मुंबई - 400025

द्वारा टावर्स, पांचवाँ तल,
मुंबई- 400018

9/1, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
ने, नई दिल्ली-67

चौथा तल, 26, कस्तूरबा
देल्ली-1

थापित तथा राजपत्र में दिनांक

न) आदेश, 1995 द्वारा अनुसूची

171 किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993

अनुसूची - ख*

(किरोसिन उपयोग पर (निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन)

आदेश, 1993 की धारा 7 क (1) (ख) देखिए)

समानांतर विपणनकर्ता के लिए रेटिंग प्रमाण-पत्र

जारी करने की तारीख :

फर्म/कंपनी का नाम :

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

संप्रवर्तक /अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक का नाम :

क्रियाकलाप :

बैंककारों की विशिष्टियां :

सम्पूर्ण रेटिंग

रेटिंग मापमान

1. अच्छा
2. समाधानप्रद
3. कम जोखिम
4. अधिक जोखिम

हस्ताक्षर और

रेटिंग अभिकरण की मुद्रा।

अनुसूची - ग*

(खण्ड 7क (1)(ख) देखिए)

रेटिंग प्रमाण पत्र के लिए अग्रोधन पत्र

जिस किसी से यह संबंधित हो

प्रमाणित किया जाता है कि हमने मेसर्सका, उन्हें प्रमाण पत्र और रेटिंग जारी करने के प्रयोजन के लिए, किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 के उपबन्धों के अनसुार मूल्यांकन कर लिया है।

हमें ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्रमाण पत्र को जारी करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक थी।

हमारे द्वारा यह प्रमाणपत्र, दस्तावेजों, अभिलेखों के संबंध में हमारी जांच और हमें प्राप्त जानकारी के निर्धारण तथा समानांतर विपणनकर्ता द्वारा वृत्तिक और तत्परता कारोबार करने, वचनबद्ध माल और सेवाएं परिदत्त करने की क्षमता, अवसंरचनात्मक नेटवर्क और तत्परता के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जारी किया गया। हमारा यह समाधान हो गया है कि हमारे द्वारा

* किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) (संशोधन) आदेश, 1995 द्वारा अनुसूची अंतः स्थापित।

प्राप्त और एकत्रित की गई जानकारी और विशिष्टियां विहित रेटिंग प्रदान करने के संबंध में मैसर्स का मूल्यांकन करने के लिए हमें समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है। मैसर्सको रेटिंग दी गई है।

मैसर्स के संबंध में मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :-

1. योजनाबद्ध कुल निवेश।
 2. अब तक किया गया कुल निवेश।
 3. संप्रवर्तन की साम्या।
 4. प्रवर्तन का क्षेत्र।
 5. आरम्भ करने की प्रस्तावित / संभावित तारीख
- समानांतर विपणनकर्ता का नाम उपदर्शित किया जाएगा।
-

हस्ताक्षर और रेटिंग अभिकरण की मुद्रा।

अनुसूची - घ*

(खण्ड 7 क (4) खण्ड 7क (6) देखिए)

रेटिंग अभिकरण द्वारा मूल्यांकन / रेटिंग के लिए समानांतर विपणनकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी का प्रोफार्मा

मापदंड ब्यौरे

1. कंपनी की बाजार की साख
- क. फर्म का गठन
- ख. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय
- ग. विद्यमान कारबारों के अवस्थान और पते
- घ. संप्रवर्तको/निर्देशकों/ भागीदारों के नाम
- ड. संप्रवर्तको/निर्देशकों/भागीदारों की पृष्ठभूमि और पूरा पूर्ववृत्त
- च. संप्रवर्तको /निर्देशकों /भागीदारों की मूल योग्यता
- छ. वर्तमान क्रियाकलाप
- ज. समानांतर विपणनकर्ता और / या उसकी कंपनियों के समूह के विद्यमान संक्रियाओं का ब्यौरा
- झ. संप्रवर्तक फर्म और सम्बद्ध समूह का संप्रवर्तकों के गठन के ब्यौरे सहित तीन वर्ष का संपरीक्षित लेखा
- ण. प्रस्तावित स्कीम के सार सहित समानांतर विपणन से संबंधित नए कारबार के लिए कामकाज पूंजी की अपेक्षा

* किरोसिन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) (संशोधन) आदेश, 1995 द्वारा अनुसूची अंतः स्थापित।

हेत रेटिंग प्रदान करने के संबंध में नए पर्याप्त है। मैसर्सको रेटिंग

र और रेटिंग अभिकरण की मुद्रा।

इए)
नांतर विपणनकर्ता द्वारा
गेफार्म

घमान संक्रियाओं का ब्यौरा
र सहित तीन वर्ष का संपरीक्षित

नए कारबार के लिए कामकाज

धन) आदेश, 1995 द्वारा अनुसूची

173

केरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993

- ट. पहले से ली गई प्रारूपिक परियोजनाओं की लागत, समय परियोजनाओं की लागत : समय परियोजनाओं की प्रकृति और अन्तर्वलित प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन संबंधी अभिलेख
- ठ. कारबार योजनाएं और परियोजनाबद्ध नकद प्रवाह
- ड. विद्यमान और प्रस्तावित कारबारों के लिए निधियों के स्रोत जुटाना
- ड. समानांतर विपणनकर्ता का उसकी अन्य समूह कंपनियों में आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र सहित पिछले तीन वर्ष का कार्य
2. किरोसिन के लिए विपणन योजनाएं
- 2.1 किरोसिन के लिए स्रोत जुटाने/संभलाई के लिए अवसंरचना
- क. पता लगाए गए आयात अवस्थान
- ख. आयात पार्सलों के प्रस्तावित आकार
- ग. अनुमोदनों की प्रास्थिति (पत्तन/कानूनी /राज्य सरकार/मुख्य विस्फोटक नियंत्रक/पर्यावरण / चहुंमुखी नेटवर्क से प्राप्त लक्ष्य/स्थानीय प्राधिकरण)
- घ. प्रगति की प्रास्थिति
- ड. प्रौद्योगिकी गठबंधन, यदि कोई हो, के ब्यौरे
- च. कारबार संबंधी प्रस्ताव/परियोजना साध्यता रिपोर्ट/वित्तीय ब्यौरे और वित्तीय जोखिम विश्लेषण।
- 2.2 किरोसिन के लिए वाणिज्यिक व्यवस्थाएं और या सहायता (यदि स्वयं की सुविधाएं योजनाबद्ध नहीं हैं)
- क. आयातकर्ता के साथ अंतिम रूप से की गई व्यवस्था संबंधी कोई गठबंधन
- ख. ऐसे गठबंधन के संबंध में समर्थनकारी/करार/दस्तावेज
- ग. न्यूनतम गारंटी के साथ आयात किए जाने वाले उत्पाद की मात्रा
- घ. आयात अवस्थान पर उत्पाद के भंडारण और उसकी संभलाई/गठबंधन करार के ब्यौरे
- ड. गठबंधन व्यवस्था के कारगर सिद्ध न होने की दशा में कमी को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना
3. योजनाबद्ध किरोसिन के लिए भंडारण और वितरण की व्यवस्था
- क. डिपो के संबंध में उनकी क्षमता सहित भंडारण सुविधाओं के ब्यौरे
- ख. ऊपर उल्लिखित पदों संबंधी प्रगति की प्रास्थिति
- ग. संयंत्र और उपस्कर / प्रौद्योगिकीय ब्यौरे
- घ. जनशक्ति और उत्पाद की संभलाई के लिए व्यवस्था के ब्यौरे
- ड. इन सुविधाओं की संरचना और सक्रियता के लिए, अपनाए जाने वाले डिजाइनों और मानकों के ब्यौरे
- च. सुविधाओं के अनुमोदन की प्रास्थिति
- छ. क्या किरोसिन के भंडारण की सुविधा, भंडारण अनुज्ञप्ति के कोड विनियमों/शर्तों के अनुरूप हैं।
4. उत्पाद को खपत केन्द्रों / बाजारों तक पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध व्यवस्थाएं
- क. योजनाबद्ध/पहले से नियुक्त नेटवर्क वितरकों के ब्यौरे
- ख. वितरकों की नियुक्ति के लिए आधार के ब्यौरे
- ग. योजनाबद्ध /विद्यमान शोरूम / विक्रय कक्ष /कार्यालय और गोदाम के, अनुमोदन की प्रास्थिति सहित ब्यौरे

- घ. किरोसिन के लिए पूरे देश में/खपत केन्द्रों के समीप नियोजित की जाने वाली जन शक्ति के ब्यौरे
 ड. किरोसिन के लिए पूरे देश में/खपत केन्द्रों के समीप योजनाबद्ध भंडारण के ब्यौरे
 च. वितरकों के गोदामों और ग्राहकों के बीच वितरण व्यवस्था के ब्यौरे
 5. उत्पाद के संबंध में जानकारी और प्रशिक्षण
 क. उत्पाद (किरोसिन) और उसकी संभलाई के संबंध में संक्रियात्मक ज्ञान
 ख. किरोसिन के संबंध में सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षमता और तैयारियां
 ग. उपस्कर/उत्पाद की सुरक्षित संभलाई के संबंध में कर्मचारियों और ग्राहकों को प्रशिक्षण देने की योजनाएं
 घ. कर्मचारियों के लिए भर्ती नीति और मानक
 ड. किरोसिन नियंत्रण आदेशों, विस्फोटक संबंधी नियमों और लागू होने वाले अन्य स्थानीय अधिनियमों के संबंध में जानकारी
 6. अपनाए जाने वाले विपणन अनुशासन और प्रस्तावित मार्गदर्शक सिद्धान्त
 क. वितरकों / परिवहनकर्ता और परिदान करने वाले व्यक्तियों के लिए आचार संहिता
 ख. उत्पादों के संबंध में अपमिश्रण और अप्राधिकृत विचलन को मानिटर और नियंत्रण करने की प्रणाली
 संप्रवर्तकों / निर्देशकों / भागीदारों के नाम
 7. किरोसिन के समानान्तर विपणन के लिए बदले में प्रस्तावित संगठन
 क. संगठनात्मक ढांचे के ब्यौरे
 ख. संप्रवर्तक के प्रबंधक के रूप में सम्मिलित होने का स्तर
 ग. किरोसिन के समानांतर विपणन, जिसमें अवसंरचना सम्मिलित है, के वित्तपोषण का स्रोत
 घ. ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे जो समानांतर विपणनकर्ता देना चाहे।
 8. वित्तीय प्रतिबद्धता
 क. कुल अनुमानित परियोजना लागत
 ख. योजनाबद्ध (फेज बार) संसाधन जुटाना
 ग. तारीख को दी गई संसाधनों की व्यवस्था और निवेश
 घ. उपरोक्त क, ख और ग के सबूत
 यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग किया जाए

हस्ताक्षर

मेसर्स

(समानान्तर विपणनकर्ता)

तारीख

पता

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1994

एस.ओ. 509 (ई) केन्द्रीय सरकार, केरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 के खण्ड 9 के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे सम्मिलित राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और सरकारी तेल कम्पनियों के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिसूचित करती है :

मध्यप्रदेश

1. सभी कलेक्टर
2. सभी अपर कलेक्टर
3. सभी उप कलेक्टर
4. सभी उपखण्ड अधिकारी
5. सभी तहसीलदार
6. सभी खाद्य नियंत्रक
7. सभी उप निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
8. सभी खाद्य अधिकारी
9. सभी सहायक निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
10. सभी सहायक खाद्य अधिकारी
11. सभी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निरीक्षक

आदेश

नई दिल्ली, 27 जून, 2002

सा.का.नि. 461 (अ) केन्द्रीय सरकार, तेल समन्वय समिति की समिति के परिणामस्वरूप केरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 के खंड 9 के अनुसरण में अपमिश्रणरोधी कक्ष, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निम्न अधिकारियों को 1.4.2002 से उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है :

1. महानिदेशक
2. क्षेत्रीय निदेशक
3. उप निदेशक
4. सहायक निदेशक

इस आदेश से दिनांक 11 मई, 2001 का सा.का.नि. 342 (अ) और दिनांक 24 अगस्त, 2001 का सा.का.नि. 622 (अ) आदेश निष्प्रभावी हो गए हैं।

जन शक्ति के ब्यौरे
गैरे

रियां
को प्रशिक्षण देने की

वाले अन्य स्थानीय

संहिता
र नियंत्रण करने की

गोषण का स्रोत

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2005

का.आ. 159 (अ) केन्द्र सरकार, समय-समय पर संशोधित केरोसिन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 के खंड 11 के अनुसरण में मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) काथेपुरा वरास्ते काटिपल्ला, बूड़ापड़ाव, मंगलोर-374149 और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), मेकर तीसरा तल, चैम्बर्स IV, 222, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021 को उक्त नियंत्रण आदेश के खंड 3 ख के उपबंधों से निम्नलिखित शर्तों पर उन्मुक्त करती है :

- (i) केरोसिन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 के बाकी सारे उपबंध लागू होंगे।
- (ii) यह अनुमति इस शर्त पर है कि तेल विपणन कंपनियों की पूरी मांग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केरोसिन वितरण की मांग पूरी करने के बाद ही उत्पाद गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं को बेचना होगा।
- (iii) एमआरपीएल और आरआईएल को तेल विपणन कंपनियों को उनकी जरूरत के अनुसार उत्पाद उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।
- (iv) यह अनुमति अनन्तिम है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2005

का.आ. 65 (अ) - मिट्टी तेल (उपयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 के अनुसरण में और भारत सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3 (ख) में प्रकाशित दिनांक 2 नवम्बर, 2001 के सा.का.नि. 135 (अ) दिनांक 17 जनवरी, 2002 एवं सा.का.नि. 12 (अ) और दिनांक 27 जून, 2002 के सा.का.नि. 417 (अ) के आदेश को अभिक्रमित करते हुए तथा अधिक्रमण से पहले की गई जो किए जाने के लिए छोड़ दी गई बातों के, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी गैस तेल कम्पनियों और दिल्ली की पुलिस स्थापना के निम्न अधिकारियों को उक्त आदेश के खण्ड 9 के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग के लिए प्राधिकृत करती है :

- (1) महा प्रबंधक
- (2) उप महाप्रबंधक
- (3) मंडल प्रबंधक
- (4) क्षेत्रीय प्रबंधक
- (5) वरिष्ठ प्रबंधक
- (6) उप प्रबंधक

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आईबीपी कम्पनी लिमिटेड

ल

स मंत्रालय

005

र संशोधित केरोसिन (उपयोग पर के खंड 11 के अनुसरण में मंगलोर येपुरा वरास्ते काटिपल्ला, बूड़ापड़ाव, हाईएल), मेकर तीसरा तल, चैम्बर्स आदेश के खंड 3 ख के उपबंधों से

नत नियतन) आदेश, 1993 के बाकी

गों की पूरी मांग सार्वजनिक वितरण ने के बाद ही उत्पाद गैर सार्वजनिक

नेयों को उनकी जरूरत के अनुसार

मंत्रालय

5

और अधिकतम कीमत नियतन) और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नवम्बर, 2001 के सा.का.नि. 135 कांक 27 जून, 2002 के सा.का.नि. 1 के पहले की गई जो किए जाने के गैस तेल कम्पनियों और दिल्ली खण्ड 9 के अन्तर्गत शक्तियों के

ल कार्पोरेशन लिमिटेड
ट्रोलीयम कार्पोरेशन लिमिटेड
यम कार्पोरेशन लिमिटेड
पनी लिमिटेड

177 केरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993

- (7) वरिष्ठ बिक्री अधिकारी
- (8) बिक्री अधिकारी
- (9) उप अधीक्षक पुलिस और इससे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना ऊपर के पद के अधिकारी

आदेश

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2007

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदेश क्र. सा.का.नि. 19 (अ) दिनांक 12 जनवरी, 2007. भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3 (i) दिनांक 12.1.2007 पृष्ठ 3-4 पर प्रकाशित।

केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :

1. (1) इस आदेश का नाम किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 2007 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 (इसके बाद उक्त आदेश कहा गया है), खण्ड 2 में, -

(i) मद (छ) के बाद, निम्नलिखित अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् -

‘(छक) “मार्कर” का अर्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित वह रासायनिक पदार्थ है जो किरोसिन और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में मिश्रण के लिए है जिसका उद्देश्य मोटर स्पिरिट अथवा हाई स्पीड डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का विपथन अथवा मिलावट रोकना है;

(ii) मद (ट) के बाद निम्नलिखित अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् -

‘(टक) “परीक्षण किट” का अर्थ उपकरण का वह सैट, जिसका प्रयोग किरोसिन, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में मार्कर की विद्यमानता निश्चित करने के लिए किया जाता है”।

3. उक्त आदेश में, खण्ड 8 के बाद, निम्नलिखित खण्ड अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् -

“8क. मार्कर के साथ मिश्रित किया जाने वाला किरोसिन - भारत में बेचा गया सभी प्रकार का किरोसिन चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बिका अथवा समानान्तर विपणन प्रणाली के अन्तर्गत, को मार्कर के पाँच भाग प्रति मिलियन (पीपीएम) सान्द्रण की दर से मिश्रित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के साथ विपथन अथवा मिलावट को रोकना होगा।”

टिप्पणी : मार्कर संबंधी प्रावधान 12 जनवरी 2007 को लागू किए गए थे तथा 31.12.2008 को हटा दिए गए थे। सुलभ संदर्भ हेतु दोनों अधिसूचनाएं प्रकाशित की जा रही हैं।

4. उक्त आदेश में, खण्ड 9 में उप-खण्ड (क) में, मद (iii) में, "प्रक्रिया" शब्द के बाद निम्नलिखित अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् -
- "किरोसिन में मार्कर के मिश्रण को निश्चित करने के लिए परीक्षण किट की सहायता से उत्पादन लेना और नमूने का परीक्षण करना।"

आदेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 2 (अ).-केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा, किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :

1. (1) इस आदेश को किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) संशोधन आदेश, 2008 कहा जाएगा।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 में, -
 - (1) खण्ड 2 में :-
 - (क) मद संख्या (छ क) का लोप किया जाएगा।
 - (ख) मद संख्या (ट क) का लोप किया जाएगा।
 - (2) खण्ड 8 क का लोप किया जाएगा।
3. खण्ड 9 में, उप-खण्ड (क) के शब्दों में "किरोसिन में मार्कर के मिश्रण को निश्चित करने के लिए परीक्षण किट की सहायता से उत्पाद लेना और नमूने का परीक्षण करना" शब्दों का लोप किया जाएगा।

टिप्पणी : प्रमुख आदेश भारत के राजपत्र में दिनांक 2 सितम्बर, 1993 के सं. सा.का.नि. 584 (अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया।

- (1) सं. सा.का.नि. 509 (अ), दिनांक 19 जून, 1995
- (2) सं. सा.का.नि. 126 (अ), दिनांक 8 मार्च, 1996
- (3) सं. सा.का.नि. 638 (अ), दिनांक 21 अक्टूबर, 1998
- (4) सं. सा.का.नि. 105 (अ), दिनांक 22 फरवरी, 2001
- (5) सं. सा.का.नि. 931 (अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2003
- (6) सं. सा.का.नि. 405 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 2006
- (7) सं. सा.का.नि. 19 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 2007
- (8) सं. सा.का.नि. 2 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2008